न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील ::06 / 2020
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00027

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
1. तेजराज पुत्र श्री धनराज, जाति ओसवाल छाजेड़, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 2. चुतराराम पुत्र श्री वेनाराम पटेल, निवासी दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 3. तेजाराम पुत्र श्री मूलाराम देवासी, निंवासी दूदली, तहसील रोहट, जिला पाली 4. चौथाराम पुत्र श्री पेमाराम जाति प्रजापत, निवासी रोहट, तहसील रोहट, जिला पाली 5. पाबूराम पुत्र श्री तुलसाराम, जाति माली, निवासी रोहट, तहसील रोहट जिला पाली 6. गोविन्दराम पुत्र श्री देवाराम जाट निवासी रोहट, जिला पाली		1. सुमित्रा देवी पत्नी दलीचन्द, 2. विकास पुत्र दलीचन्द, 3. अरूणा पुत्री दलीचन्द, जातियान ओसवाल निवासीगण न्यू पावर हाउस रोड़, जोधपुर 4. तहसीलदार रोहट

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी, विक्रम शर्मा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 20.05.2024

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के विरूद्ध तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 955 दिनांक 08.01.2008 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एम. जोशी, विक्रम शर्मा वक्त बहस उपस्थित हुये। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने अपील मीमो व दौराने बहस कथन किया कि मौजा ग्राम दूदली पटवार हल्का सिणगारी के खसरा संख्या 174 / 5 रकबा 03 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 181 / 1 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 15 बीघा दलीचन्द पुत्र कानमल ओसवाल महाजन निवासी रोहट की खातेदारी कब्जाशुदा स्थित थी। दिनांक 30.06.1980 को दलीचन्द ने उक्त

आराजी को स्वयं सहित अपीलाण्ट तेज़राज के पिता श्री धनराज वल्द ताराचन्द जैन ओसवाल निवासी रोहट, पुखराज पुत्र ताराचन्द जाति जैन ओसवाल निवासी रोहट को ट्रस्टी नियुक्त कर एक ट्रस्टनामा स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया व उप–पंजीयक पाली के समक्ष पंजीबद्ध करवाया। उक्त ट्रस्टनामा दिनांक 30.06.1980 में ट्रस्टी दलीचन्द ने विस्तार कथन अंकित किया कि "यह प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में कार्य करेगा, अतः तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण कराने की व्यवस्था ट्रस्टीगण करेंगे। उपरोक्त 15 बीघा भूमि का रेवेन्यू खाता संख्या 27 मेरे नाम का है जो ट्रस्ट के नाम नामन्तरकरण करवा लिया जाये।" तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर प्याउ, गौशाला व अन्य धार्मिक कार्य हेतु निर्माण कर ट्रस्ट का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है। तत्पश्चात दलीचन्द के फौत हो जाने पर दलीचन्द के विधिक वारिश रेस्पो. संख्या 01 से रेस्पो. संख्या 03 ने पंजीकृत ट्रस्टनामे की जानकारी होते हुए भी विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम से स्वीकृत करवा लिया व विवादित आराजी पर ट्रस्ट के रूप में संचालित सभी निर्माण कार्य को ध्वस्त कर आगे से आगे बेचान करने पर आमादा है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमावे तथा बाद जांच रजिस्टर्ड ट्रस्टनामा के अनुसार विधि एवं नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट्स ने दौराने बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकण, विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय सभी विधिक वारिसान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा उनकी खातेदारी की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से सव्यय खारिज फरमाई जावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय मियाद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र कों अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है। प्रकरण में प्रथम–दृष्ट्या हम यह पाते है कि जैर आराजी के बाबत् सम्पादित किये गये भेंट–पत्रों इत्यादि का सार्वजनिक महत्व है। अतएव अपीलाण्ट को यह अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अपीलाण्ट द्वारा पेशसुदा दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि विवादित नामान्तरकरण संख्या 955 में सम्मिलित आराजियात 135/9, 321/69, 373/69, 174/5 व 181/1 में इन आराजियात के सन्दर्भ में हालांकि ट्रस्टनामा पंजीकृत नहीं है परन्तु प्रथम–दृष्ट्या वह तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया हुआ है व छवजंतपेमक है जिस से नामान्तरकरण के मूल पुरूष दलीचन्द की भावनाएं स्पष्ट होने का संकेत प्राप्त होता है। दूसरी ओर हम यह भी पाते है कि विवादित आराजियात में से आराजी संख्या 174 का भेंटनामे का पंजीकरण दिनांक 10.06.1982 को धनराज, दलीचन्द, हीरालाल व सोहनराज के नाम किया हुआ है एवं इस में यह वर्णित है कि इन चारों को यह भूमि इसलिए भेंट की गई है ताकि इस का भेंटनामें में वर्णितानुसार सार्वजनिक उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार एक अन्य पंजीकृत भेंटनामा जिसमें विवादित नामान्तरकरण से संबंधित आराजी संख्या 181 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा का भी भेंटनामा पूर्व भेंटनामें के चारों व्यक्तियों के नाम दिनांक 10.06.1982 को पंजीकृत किया गया है। स्पष्टतया जब किसी भूमि का पंजीकृत भेंट पत्र किन्ही अन्य व्यक्तियों को किया जा चुका है एवं उस का नामान्तरकरण अगर नहीं खुला हो तो भी संबंधित भेंटकर्ता के अधिकार भेंट करने के बाद अवशेष नहीं रहते है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 955 में वर्णित आराजियात का भेंट किया जाना स्पष्ट होने

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

के बावजूद भी यह प्रकट होता है कि भेंट कर्ता के वारिशान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है जो स्पष्टतया विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। तद्नुसार यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तरकरण संख्या 955 के अन्तर्गत किये गये निर्णय दिनांक 08.01.2008 को अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभयपक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देकर एवं आवश्यकतानुसार मौके की जांच करवा कर विधिनुसार निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के साथ प्रेषित हो। उभयपक्षकारान् दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18.07.2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली

जिला कलेक्टर, पाली